उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-144/2018/1572/71-1-2018-झ-58/2018
लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2018

डा0 अंशुल जैन,
पुत्र श्री डी0 बी0 जैन,
पता-हाउस नं0-ए0एच0-2/9, वीरांगना नगर,
कानपुर रोड, झाँसी।

आप द्वारा अपने पत्र दिनाँक 09.04.2018 द्वारा प्रवक्ता पद के स्थान पर सहआचार्य, एनेस्थीसिया के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने अथवा प्रवक्ता के वेतनमान पर सहआचार्य का पदनाम देते हुए कार्यभार ग्रहण कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि आपका चयन लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता पद हेतु किया गया है। अतः आपके मौलिक पद से इतर उच्चतर पदनाम से कार्यभार करने की अनुमति दिया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः आपको सहआचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। आप प्रवक्ता पद के सापेक्ष ही कार्यभार ग्रहण कर सकते है।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव।

संख्या-144/2018/1572(1)/71-1-2018तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झाँसी।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in